तारीख : 11 जनवरी, 2014

धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों

–अरुण जेटली
राज्य सभा में विपक्ष के नेता

हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग IV में शासकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत तैयार किए थे। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है, ''सरकार भारत के प्रत्येक क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करे।'' समान नागरिक संहिता का संबंध केवल नागरिकों के अधिकारों से है न कि धार्मिक रस्म रिवाजों से। लेकिन फिर भी कुछ लोग गुमराह होकर इस बात को मानने लगे हैं कि समान नागरिक संहिता उनके धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप होगा। हमारे कानूनों के निर्माताओं ने नागरिक अधिकारों से संबंध रखने वाले अलग पर्सनल लॉ की अनुमति देते समय दंडात्मक कानून के संबंध में कोई छूट नहीं दी थी। अपराध तो अपराध ही है चाहे अपराधी का जन्म कहीं भी हुआ हो। उसकी धार्मिक भावना उसका दोषी अथवा निर्दोष होना तय नहीं कर सकती।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे ने घोषणा की थी कि वे सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं कि वे अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के खिलाफ आतंकवाद के मामलों की समीक्षा करें। जाहिर है, उनके दिमाग में केवल धार्मिक अल्पसंख्यक रहे होंगे भाषायी अल्पसंख्यक नहीं। वह उम्मीद कर रहे हैं कि राज्य सरकार सभी लोगों के लिए नहीं बल्कि ऐसे कुछ नागरिकों के खिलाफ मामलों से निपटने के लिए समीक्षा समितियां स्थापित करें जिन पर आतंकवाद से जुड़े अपराधों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। गृह मंत्री के इस कदम ने इसके औचित्य और वैधता को लेकर कुछ मौलिक सवाल खड़े कर दिए हैं।

उनका यह कदम स्पष्ट रुप से राजनैतिक है। भारत में अनेक लोगों पर आतंक से जुड़े अपराधों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। प्रावधानों को कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक गुटों के साथ जुड़े होने के खिलाफ उपयोग में लाया गया। पिछले कुछ वर्षों में बहुसंख्यक समुदाय के कुछ सदस्यों पर भी कुछ मामलों में आरोप लगाए गए। देश के अनेक भागों में आतंक से जुड़े अपराधों के मामले में माओवादियों पर आरोप लगाए गए। पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों के खिलाफ आतंक रोधी कानूनों के प्रावधानों का उपयोग किया गया। पोटा के अंतर्गत 2004 से पहले के कुछ मामले लंबित पड़े हैं। मुख्य रुप से गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) कानून के अंतर्गत पिछले कुछ मामले हैं। चुनाव से पहले केवल एक खास वर्ग के मामलों की समीक्षा की जाएगी, इससे लगता है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा किया जा रहा है है।

इस तरह का कदम स्पष्ट तौर पर असंवैधानिक है। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। स्पष्ट और विशिष्ट कसौटी के आधार पर उचित वर्गीकरण किया जा सकता है। इस तरह की कसौटी स्पष्ट रुप से असंवैधानिक है कि आतंक के मामलों की समीक्षा की सुविधा इस बात पर निर्भर करेगी कि वे किस धर्म को मानते हैं अथवा उन्होंने जन्म लिया है। कोई भी अपराध इस आधार पर समाप्त नहीं हो जाता कि अपराधी किसी विशेष धर्म का है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय राज्यों के लिए यह अनिवार्य कर रहा है कि वे किसी विशेष धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों के ही मामलों की समीक्षा करे। नास्तिक, ईश्वर को न मानने वाले और हिन्दू धर्म में विश्वास रखने वालों को वास्तव में इससे बाहर रखा जाएगा। वहां विरोधाभास भी रहेगा। हिन्दू धर्म में विश्वास रखने वालों की संख्या जम्मू कश्मीर और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत कम है। क्या इन राज्यों में समीक्षा के वे भी हकदार होंगे या इन राज्यों में

बहुसंख्यकों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक माना जाएगा और वे मामलों की समीक्षा के हकदार होंगे? उन मामलों का क्या होगा (माओवादियों के खिलाफ) जहां सह आरोपी एक धर्म का है और अन्य दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखता है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने जो मानदंड अपनाए हैं वह समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करते हैं क्योंकि यह तर्कों अथवा समझ में आने योग्य कसौटी पर आधारित नहीं हैं।

फौजदारी का मुकदमा वापस लेने का अधिकार आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 321 तक सीमित है। केवल सरकारी वकील 'अच्छी दलील' के लिए खुद को तैयार करने के बाद मामला वापस लेने के लिए अदालत में जा सकता है। न्यायाधीश को अपना दिमाग लगाना होगा कि मामले को वापस लेने की इजाजत दे अथवा नहीं। दंडात्मक कानून ऐसा कोई भी लंबित मामला वापस लेने के लिए किसी तरह की समीक्षा समिति की इजाजत नहीं देता जहां आरोपपत्र दायर हो चुका हो। जब भी सांसदों ने इसकी जरुरत महसूस की है, उन्होंने विशेष तौर पर इस तरह की समीक्षा समिति प्रदान की है। एक अतिरिक्त कानून समीक्षा समिति जो सरकारी वकील और न्यायाधीश के विशेषाधिकार की जगह ले ऐसी प्रक्रिया अपनाएगी जिससे कानून भी अपरिचित है। यह दंडात्मक कानून के प्रावधानों का भी स्पष्ट उल्लंघन है।

केन्द्रीय गृह मंत्री की धर्म के आधार पर अपराधियों के बीच भेदभाव करने की राज्यों को सलाह/निर्देश अनुचित नीति पर आधारित हैं। यह समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करते हैं। यह मौलिक सिद्धांतों और दंडात्मक कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है। गृह मंत्री के इस तरह के असंवैधानिक निर्देशों को मानने के लिए राज्य बाध्य नहीं हैं।

*****